न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 05 / 2025

बउनवान

सरकार जर्ये रविन्द्र कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, (बारां) (प्रार्थी)

बनाम

श्री लेखराज प्रजापत पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश प्रजापत, समसपुर, तहसील बारां (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(ए) के तहत

उपस्थिति :– 1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)

निर्णय दिनांक 26.05.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.12.2024 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढते व्यावसायिक उपयोग की शिकायत के कम में प्रार्थी हमराह प्रवर्तन निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक श्री धीरज कुमार मीणा, मां कैलादेवी ई मित्र (CSC Center) समसपुर पहुंचे मौके पर लेखराज प्रजापत पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश उम्र 32 वर्ष, उपस्थित मिले जिनके सामने मकान परिसर की जांच की गई। जांच में मौके पर एक छोटी मोटर रिफलिंग मशीन (टूटी हुई) मिली व 10 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 के.जी.) पाये गये। इनके भण्डारण एवं विकय के संबंध में दस्तावेज मांगे जाने पर कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये गये इस कारण इन सभी 10 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं छोटी रिफिल नलिका को अवैध मानते हुए जब्त किया गया। यह नियम विरूद्ध कृत्य है जो राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन पाये जाने पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों एवं गैस भरने का मोटर वॉलपाईप उपकरण को जब्त सरकार कर रूबरू मैसर्स कोयला इण्डेन ग्रामीण वितरक गैस एजेन्सी की सुपुर्दगी में दिया जाकर सुपुर्दगीनामा लिखा गया। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों एवं गैस भरने का मोटर वॉलपाईप उपकरण को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित हुआ तथा अप्रार्थी ने जवाब इस आशय का पेश किया कि मेरे पास हफ्ते में एक बार गाड़ी सिलेण्डर देने आती थी, बीच में मेरे पास भरे हुये सिलेण्डर नहीं होने के कारण ग्राहकों (जो कि एक गांव के होने के कारण सभी मेरे परिचित हैं) द्वारा गाड़ी आने पर मेरी टंकी भरवा लेने की बोलकर मेरे पास डायरी व खाली सिलेण्डर छोड़ दिये थे। जिस दिन मेरे पास से सिलेण्डर जप्त किये गये उसी दिन मुझे राज एच पी गैस ऐजेन्सी की गाड़ी सिलेण्डर देकर गई थी इस कारण मेरे पास सात से अधिक सिलेण्डर थे। मेरे द्वारा हमेशा ही गैस डायरी से बुकिंग करके ही ग्राहक को सिलेण्डर दिये जाते थे मेरे द्वारा अवैध रूप से गैस की टंकियां नहीं बेची गई और ना ही अवैध रूप से गैस की रिफिल की जाती है। मेरे पास से एक छोटी टंकी में भरने की टूटी निपल जो कि ऐसे ही कबाड़े में पड़ी थी वह प्राप्त हुई थी मैने इसका कभी भी उपयोग नहीं किया। मैं अपनी गलती के लिये क्षमाप्रार्थी हूं मरे जप्त किये गये सिलेण्डर वापस दिलवाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.07.01 10:57:48 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार रसद व अप्रार्थी स्वयं की सुनी।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा दस गैस सिलेण्डरों एवं गैस भरने का मोटर वॉलपाईप उपकरण को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

दौराने बहस अप्रार्थी ने कथन किया कि गांव के परिचित व्यक्ति गैस की गाड़ी आने पर टंकी भरवा लेने की बोलकर मेरे पास डायरी व खाली सिलेण्डर छोड़ जाते थे अप्रार्थी द्वारा कभी भी अवैध रूप से गैस की टंकियां नहीं बेची गई और ना ही अवैध रूप से गैस की रिफिल की जाती है। अप्रार्थी के पास से एक छोटी टंकी में भरने की टूटी निपल जो कि ऐसे ही कबाड़े में पड़ी थी वह प्राप्त हुई थी लेकिन इसका कभी भी उपयोग नहीं किया। अतः प्रार्थी की गलती को क्षमा कर प्रार्थी के जब्तशुदा सिलेंडर वापस दिलाये जाने के आदेश प्रदान करें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी ने जवाब के साथ नोटेरी द्वारा एटेस्टेड SAMPLE Mou to be signed between CSC VLE and Distributor की छायाप्रति पेश की परन्तु ऐसा कोई Mou सक्षम स्वीकृति से हुआ है अथवा नहीं के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश दिये जाते है कि जप्तशुदा HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर 026182, HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर 456566, HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर 347516, HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर 65, HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर 857990, HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर 177989, HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर 264650, HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर 309588, HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर 608982, HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर 004668 तथा गैस भरने के मोटर वॉलपाईप उपकरण का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया गया है, इसलिये अप्रार्थी/सुपुर्दगीदार से जप्तशुदा गैस सिलेण्डर की सिक्योरिटी राशि मय जुर्माना राशि प्रति गैस सिलेण्डर 2500/– रूपये लिये जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को वापस लौटाया जावे। यदि अप्रार्थी जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को उक्तानुसार राशि जमा करवा कर वापस नही लेता है तो अप्रार्थी से व्यवसायिक गैस की दर से घरेलू गैस सिलेण्डर की अन्तर राशि नियमानुसार प्राप्त करें एवं प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.6.07 द्वारा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को संचालक मैसर्स राज एचपी गैस एजेन्सी बारां को कीमत पर दिया जावे साथ ही गैस भरने के मोटर वॉलपाईप उपकरण को खुली नीलामी में नीलाम करें तथा उक्तानुसार गैस सिलेण्डर एवं गैस भरने के मोटर वॉलपाईप उपकरण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.07.01 10:57:48 IST
Reason: SelfAttested